रिपोर्टेबल

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 148/2010

देवी लाल - अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य - प्रतिवादी (गण)

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 149/2010

बाबू लाल - अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य - प्रतिवादी (गण)

**निर्णय**

**रस्तोगी, न्यायाधीश**

1. दोनों अपीलकर्ता, बाबू लाल और देवी लाल, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य के तहत धारा 120 बी की सहायता से उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि और 30 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय के तहत सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा से असंतुष्ट हैं, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, घटना के बाद, 8 फरवरी 1999 को शाम 7.15 बजे शिकायतकर्ता विजय सिंह (पी डब्ल्यू 2) ने निम्बाहेड़ा पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी1) प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि वह और उसका चचेरा भाई धरम चंद (मृतक) अपने परिवार के साथ बिनोटा गाँव में अलग-अलग घरों में रह रहे थे। 7 फरवरी, 1999 की शाम 6 बजे, मृतक धर्मचंद की बेटी ने उन्हें दूरभाष पर बताया कि उसके पिता, जो मोटर साइकिल पर भगवानपुरा गए थे, वापस नहीं आए है। शिकायतकर्ता अन्य पड़ोसियों के साथ 8 फरवरी, 1999 को मृतक धर्मचंद को खोजने गया और गांव भगवानपुरा में मृतक के भाई धर्मचंद के गोदाम के बाहर उसकी मोटरसाइकिल मिली लेकिन उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उसकी लिखित शिकायत पर, एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट (प्रदर्श पी 75) दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी ने शंभू सिंह (पी डब्ल्यू 3) से पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि 7 फरवरी, 1999 को आरोपी बाबू लाल ने

उसकी जीप किराए पर ली थी। बाबूलाल और उसके मजदूर, लोगर और बगदीराम, ड्रम ले गए जिसमें गेहूं था। ड्रम को लोगर के खेत के पास जीप से उतारा गया, शंभू सिंह को लोगर के घर पर बैठाया, और शौच का बहाना बताकर, बाबू लाल, लोगर और बगदीराम करीब 1:30 घंटे के लिए चले गए। जब वे वापस आए तो वहां ड्रम नहीं था। शंभू सिंह (पी डब्ल्यू 3) से पूछताछ पर, बाबूलाल ने बताया कि लोगर और बगदीराम इसे बाद में पहुंचा देंगे। आगे पूछताछ करने पर पता चला कि 5 फरवरी, 1999 को बाबू लाल और मृतक धर्म चंद के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी और ऐसे ड्रम ले जाने पर बाबूलाल ने कुछ संदेह पैदा किया। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि एक सूखे कुएं से दुर्गंध आ रही थी। जब सागौन के पेड़ की ताजी कटी हुई शाखाओं और पत्तियों को हटाया गया तो मृतक धर्मचंद का शव मिला। प्रदर्श पी 73 के आधार पर, 11 फरवरी, 1999 को निंबाहेड़ा पुलिस स्टेशन में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. अनुसंधान के पश्चात, चार आरोपी व्यक्तियों बाबू लाल, देवी लाल, केशु राम उर्फ पंचिया मीणा और लोगर रावत के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। चारों ने विचारण का सामना किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों केशु राम उर्फ पंचिया मीणा और लोगर रावत को बरी कर

दिया। आरोपी बाबू लाल को भा.द.स. की धारा 302 सहपठित धारा 34 और 120 बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और अपीलकर्ता देवी लाल को हत्या की साजिश रचने के लिए भा.द.स की धारा 120-बी के अपराध के लिए दोषी ठहराया।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलों को दिनांक 30 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया।

5. प्रतिद्वंद्वी के निवेदनों पर ध्यान देने से पहले, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण करना उचित होगा।

6. अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। जिन परिस्थितियों में विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 और 120 बी भा.द.स. के तहत दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, वह मुख्य रूप से शिकायतकर्ता विजय सिंह (पी डब्ल्यू 2), वंदना (पी डब्ल्यू 5) और उमा देवी (पी डब्ल्यू 10), मृतक की बेटी और पत्नी के साक्ष्य पर आधारित है और साथ ही सह-अभियुक्त बाबू लाल द्वारा शंभू सिंह (पी डब्ल्यू 3) को की गई अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भी भरोसा किया।

7. आरंभ में, यह देखा जा सकता है कि न तो प्रारंभिक शिकायत में, जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और न ही पूछताछ के बाद के चरण में, जब प्राथमिकी दर्ज की गई (प्रदर्श पी 73), अपीलकर्ता देवीलाल का नाम सामने आया। यहां तक कि वंदना (पी डब्ल्यू 5) के बयान में, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय, (प्रदर्श डी 5), आरोपी अपीलकर्ता देवी लाल द्वारा रची गई किसी साजिश का ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। पी डब्ल्यू 5 वंदना और पी डब्ल्यू 10 उमा देवी की गवाही में, यह कहा गया था कि आरोपी देवी लाल 5 फरवरी 1999 को घर आया था और मृतक धर्म चंद से बाड़ा का आधा हिस्सा मृतक धरम चंद से 10,000/- रुपये में खरीदना चाहता था। देवीलाल ने मृतक को बाड़ा बेचने के लिए धमकाया, लेकिन उसने मना कर दिया।

8. जहां तक अपीलकर्ता बाबू लाल का संबंध है, यह वंदना (पी डब्ल्यू 5) और उमा देवी (पी डब्ल्यू 10) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया था कि वह उनके परिवार को जानता था क्योंकि बाबू लाल मृतक से पैसे लेता था और उसे वापस करता था। मृतक धर्मचंद ने अभियुक्त बाबू लाल को 50,000/- रुपये उधार दिए थे, जिसे खाता बही में लिख दिया गया था। जब मृतक धरम चंद बाबू लाल से पैसे लेने गया, तो उसने वापस करने से इनकार कर दिया और झगड़ा करने लगा। मृतक ने वंदना (पी डब्ल्यू

5) और उमा देवी (पी डब्ल्यू 10) को इसकी सूचना दी थी। मृतक द्वारा मांगे गए पैसों से अपराध करने का संदेह हुआ। लेकिन दोनों गवाहों वंदना (पी डब्ल्यू 5) और उमा देवी (पी डब्ल्यू 10) ने, अपनी प्रतिपरीक्षा में, कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अभियुक्त बाबू लाल ने मृतक से पैसे कब उधार लिए थे।

9. यह सच है कि एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का उपयोग इसके निर्माता के विरुद्ध किया जाता है लेकिन एहतियात के तौर पर, न्यायालय को सलाह दी जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के साथ संपुष्टि करे। गोपाल साह बनाम बिहार राज्य 2008(17) एससीसी 128 में, इस अदालत ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, प्रत्यक्ष स्पष्ट से, एक कमजोर साक्ष्य है और दृढ़ परिस्थितियों की एक श्रृंखला के अभाव में न्यायालय दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से उस पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक है। वर्तमान मामले में, यह देखा जा सकता है कि इस पर भरोसा करने के लिए अभिलेख पर कोई अतिरिक्त दृढ़ परिस्थितियां नहीं हैं। इसके साथ ही, शंभू सिंह (पी डब्ल्यू 3) ने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय, अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दिए गए बयान जैसा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का बयान (प्रदर्श डी 5) नहीं दिया है।

इसके अलावा, इसका समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य परिस्थितियां नहीं हैं।

10. अन्य सहायक साक्ष्य जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया था, वह यह था कि आरोपी बाबू लाल ने आरोपी देवी लाल को मृतक धर्म चंद के हस्ताक्षर प्राप्त बही के फटे पन्ने को सौंपने की जानकारी दी थी। अभियुक्त देवीलाल ने अन्वेषण अधिकारी को सूचना देकर उक्त पन्ना बरामद करवाया। कोई न्यायोचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है जो अभिलेख में आया हो कि फटा हुआ पन्ना देवीलाल के कब्जे में कैसे आया चूंकि उक्त पन्ना आरोपी बाबू लाल के पास से बरामद बही (आर्टिक्ल 27) से फटा हुआ था, जिसका एफएसएल रिपोर्ट से मिलान किया गया है। कोई औचित्य भी नहीं था जो अभियोजन पक्ष की ओर से सामने आया कि काली स्याही से मृतक धर्मचंद के हस्ताक्षर वाला बाबू लाल का फटा हुआ बही पन्ना उसके पास कैसे आ गया। अभियुक्त बाबू लाल की सूचना पर कलम बरामद की गई, जिससे अभियुक्त देवीलाल के पास से बरामद पन्ने पर लिखावट मिली है। आगे की परिस्थिति अभियुक्त बाबू लाल द्वारा दी गई सूचना पर 11,200/- रुपये की बरामदगी थी, लेकिन यह पैसा बाबू लाल के पास कहां से आया, यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। श्रृंखला को पूरा करने वाली अन्य परिस्थितियाँ यह थीं कि अभियुक्त देवीलाल ने

इस साक्ष्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि देवीलाल बाबूलाल के पास किस सूचना से आया था जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त देवीलाल के पास से बरामद डायरी में इंगित किया गया था। अभियुक्त बाबूलाल को 13 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी देवीलाल को 15 फरवरी, 1999 को 7 फरवरी, 1999 की कथित घटना के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो 8 फरवरी, 1999 को सूचनाकर्ता के संज्ञान में आया था और 11 फरवरी, 1999 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी और 24 फरवरी, 1999 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बही के फटे पन्ने की कथित बरामदगी, जिस पर मृतक के हस्ताक्षर के साथ 1999 की डायरी (प्रदर्श पी-79), की गई थी। इस तरह की किसी बही को कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। बही की गैर-प्रस्तुती के अलावा, कोरे कागज के फटे हुए टुकड़े के मूल-स्रोत को साबित करने के लिए, कागज के इस फटे हुए टुकड़े और बही पर स्याही की समानता एफएसएल द्वारा की गई आपत्ति और इसके जवाब के मद्देनजर बेहद संदिग्ध थी, जिसे अन्वेषण अधिकारी (पी डब्ल्यू 33) ने भी जिरह में स्वीकार किया है।

11. उच्च न्यायालय द्वारा जिस बात पर भरोसा किया गया वह यह थी कि अपीलकर्ता अभियुक्त देवी लाल ("दरराज" से बरसोत" तक) के उजागर करने पर बरामद कागज आर्टिकल 7 वही था जिसे अपीलकर्ता

बाबू लाल की सूचना पर बरामद बही से फाड़ा गया था। दूसरा, कागज के उस टुकड़े पर निचला हिस्सा था जिस पर मृतक धर्मचंद के हस्ताक्षर थे और उसके अलावा कागज कोरा था।

12. संक्षेप में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा समग्र रूप से जिन परिस्थितियों पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है, उन्हें निम्नानुसार संदर्भित किया जाता है:

> "1. अपीलकर्ता देवीलाल मृतक से 'बाड़ा' का आधा हिस्सा खरीदना चाहता था जिसके लिए उसने सक्रिय रूप से प्रयास किया।
>
> 2. 7 फरवरी को सुबह करीब 9-10 बजे मृतक भगवानपुरा के लिए निकला, जो बहुत दूर नहीं है।
>
> 3. लगभग 10-10.20 पूर्वाह्न, वह पैसे लेने के लिए बाबूलाल के घर जाने की बात कहकर बाबूलाल के घर ('नोहरा') चला गया। बाबूलाल के घर जाने के बाद कभी जिंदा नहीं देखा गया।
>
> 4. 6 फरवरी को बाबूलाल ने शंभू की जीप किराए पर ली 7 तारीख की शाम को ग्राम धिकिया

जाने के लिए उपयोग के लिए। फिर 7 तारीख की शाम करीब 8 बजे, बाबूलाल  व दो अन्य वजनदार ड्रम ले गए जिसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया मृतक का शव सूखे कुएं जैसे गड्ढे में मिला, जहां ड्रम छोड़ा गया था।

5. बाबूलाल की सूचना पर, उसके घर से बरामद उसके खुद के छिपे हुए कपड़े भी बरामद किए गए, अहाता की चारदीवारी और उसके 'नोहरे' की मिट्टी पर खून के धब्बे थे । बाबूलाल के कपड़ों पर और मृतक के कपड़ों पर 'ए' समूह का रक्त। 'नोहरा' के फर्श पर 'ए' समूह के दाग मिले। 'नोहरा' की दीवार पर इंसानी रक्त के धब्बे।

6. बाबूलाल की सूचना पर उसके कब्जे से एक 'बही' बरामद - बही का लगभग 78” X 67” का एक पन्ना फट हुआ।

7. बाबूलाल ने बताया कि आधा फटा हुआ ऊपर का पन्ना बाबूलाल के पास है।

8. सूचना पर तथा देवीलाल के कहने पर, अर्थात उसके कब्जे से, "दराज" से बरामद बही का आधा फटा हुआ ऊपर का पन्ना, यह दरवाजे के फ्रेम और पास की दीवार के बीच एक संकरी जगह है।

9. इस फाड़े हुए पन्ने पर नीचे की तरफ धरम चंद के हस्ताक्षर हैं अन्यथा कागज कोरा है।"

13. विचाराधीन अभिलेख पर तथ्यों की विस्तृत छानबीन किए बिना, आक्षेपित निर्णय के तहत जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और जिन पर ध्यान दिया गया, वे स्वयं आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अपराध की श्रृंखला को संदेह से परे पूरा करने में संदेह पैदा करती हैं।

14. परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून का उत्कृष्ट निरूपण, एक दांडिक अपराध के आरोप के प्रमाण के रूप में इसकी प्रासंगिकता और निर्णायकता, शरद बिर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984(4) एससीसी 116 में न्यायालय के अन्य निर्णयों में से एक है। निर्णय के अनुच्छेद 153 के प्रासंगिक अंश निश्चित रूप से उपयुक्त हैं:-

“153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शित करेगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी मामले

को पूर्णतः स्थापित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियां "अवश्य/चाहिए" स्थापित की जानी चाहिए ना की "शायद"। न केवल एक व्याकरणिक बल्कि "साबित किया जा सकता है" और "साबित होना चाहिए" के बीच एक कानूनी अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793 में अभिनिर्धारित किया था जहां आकलन किए गए थे:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को होना चाहिए और इससे पहले कि कोई अदालत अभियुक्त ठहराए केवल दोषी हो सकता है नहीं और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्यों को केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावना में अभियुक्त द्वारा कृत्य किया गया होगा।"

15. इस न्यायालय द्वारा सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य 2013 (12) एससीसी 406 और राजा उर्फ राजिंदर बनाम हरियाणा राज्य 2015 (11) एससीसी 43 में आगे विचार किया गया है। यह प्रतिपादित किया

गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य की संवीक्षा करते समय, किसी न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उसका मूल्यांकन करना होगा कि घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से स्थापित है ताकि अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी भी उचित संभावना से इंकार किया जा सके। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, वास्तव में यह साक्ष्य से निकलने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है जिसे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सके। लेकिन जब सामूहिक रूप से विचार किया जाता है तो जो परिस्थितियां पेश की जाती हैं, उनसे केवल यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अकेले कथित अपराध का अपराधी है और परिस्थितियों को केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप निर्णायक प्रकृति स्थापित करनी चाहिए।

16. वर्तमान मामले में समग्र तथ्य स्थिति के विश्लेषण पर, और अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पर विचार करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में पर गौर करते हुए, यह साबित करने के लिए कि आरोप स्पष्ट रूप से अधूरा है और बिना किसी संदेह के उसके आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने की अनुमति देने के लिए असंगत है। यद्यपि अभिलेख पर रखी

गई सामग्री में उनके प्रति कुछ संदेह है, किंतु अभियोजन पक्ष अपने मामले को 'सत्य हो सकता है' के दायरे से 'सत्य होना चाहिए' के स्तर तक ले जाने में विफल रहा है जैसा कि आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि के लिए विधि में अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यह कहना सामान्य है कि एक आपराधिक मुकदमे में, संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

17. इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभिलेख के मामले पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है। अभियुक्त वास्तव में वह लाभ पाने का हकदार है जो उसके लिए अनुकूल है। न्यायिक रूप से निर्धारित सभी मानदंड, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की गुणवत्ता और सामग्री को परिभाषित करते हुए, एक आपराधिक आरोप पर अभियुक्त के अपराध को स्पष्ट करते हैं, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष, मौजूदा मामले में, उसे पूरा करने में विफल रहा है।

18. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हम उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं। इस प्रकार अपीलकर्ता संदेह के लाभ के हकदार हैं। दोनों अपीलें सफल होती हैं और तदनुसार स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ता देवी लाल पहले से ही जमानत पर हैं। उसके जमानत

बंध-पत्र निरस्त किए जाते हैं। अपीलकर्ता बाबू लाल, जो हिरासत में है, को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

**भारत के मुख्य न्यायाधीश (रंजन गोगोई)**

**न्यायाधीश (के. एम. जोसेफ)**

**न्यायाधीश (अजय रस्तोगी)**

नई दिल्ली

8 जनवरी, 2019

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

**अस्वीकरण :** यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।